A/0 199

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सत्यमेव जयते

दिनांक: 06.11.2025

फाइल सं. एचआरएम--VII/37(1)97/वीए/पार्ट/ई-38093/3519

कार्यालय आदेश

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सतर्कता सहायक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सतर्कता सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में स्क्रीनिंग-सह-चयन समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्नलिखित कार्मिकों को सतर्कता सहायक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 [35,400-1,12,400 रु.] में **नियुक्ति का प्रस्ताव** जारी किया जाता है। प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति, सतर्कता सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए होगी।

क्र. सं.	अधिकारी के नाम (श्री/श्रीमाती/सुश्री)	पद	वर्तमान तैनाती स्थान	सतर्कता सहायक के रूप में वर्तमान तैनाती
1.	श्री नागराज एच	वरि.सा.सु.स.	क्षे. का., पीण्या	आं.स.नि., बेंगलुरू
2.	श्री रघु एल	वरि.सा.सु.स.	क्षे. का., बेंगलुरू (केन्द्रीय)	आं.स.नि., बेंगलुरू
3.	श्रीमती आर. ललिता	वरि.सा.सु.स.	क्षे. का., चैन्नई (उत्तर)	आं.स.नि., चैन्नई
4.	श्री सिद्धार्थ बोरल	वरि.सा.सु.स.	क्षे. का., कोलकाता	आं.स.नि., कोलकाता
5.	श्रीमती गुरुप्रिया	वरि.सा.सु.स.	क्षे. का., कोट्टयम	आं.स.नि., अहमदाबाद
6.	श्री उदय कुमार	वरि.सा.सु.स.	आं.स.नि. उत्तरी अंचल	स. मुख्या. दिल्ली
7.	श्री पवन कुमार मौर्या	वरि.सा.सु.स.	क्षे. का., दिल्ली (उत्तर)	डार (मुख्या) दिल्ली

2. **प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की शर्तें एवं नियम इस प्रकार हैं:-**

(i) प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/229/91-स्था./(वेतन II) दिनांक 05.01.1994 कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था.((वेतन II) दिनांक 17.06.2010 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/ज्ञापन द्वारा अभिशासित होंगे।

(ii) नियुक्ति आदेश संबंधित कार्मिकों की लिखित सहमति प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा, जिसमें सतर्कता मंजूरी के अधीन नियुक्ति के प्रस्ताव की शर्तों एवं नियमों को स्वीकार कर लिया गया है। प्रतिनियुक्ति पद हेतु स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात, कार्यभार ग्रहण करने से मना करने पर कार्मिक कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंदर और बाहर, दोनों जगह, तीन साल तक प्रतिनियुक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

(iii) वह नियमानुसार टीए/डीए और कार्यभार ग्रहण करने का समय लेने के पात्र होंगे।

(iv) पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रतिनियुक्त अधिकारी को कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी, प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति तिथि से पूर्व लिखित रूप में विस्तारित न करदे।

(v) यदि कोई अधिकारी किसी भी कारण से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य प्रतिकूल परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि को पेंशन के उद्देश्य के लिए सेवा में नहीं गिना जाएगा तथा अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस आ जाता है।

3. **यदि उपर्युक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, तो उपर्युक्त कार्मिक अपनी लिखित सहमति और नवीनतम सतर्कता अनापति प्रमाणपत्र कार्यालय को इस ईमेल पते rpfc.exam@epfindia.gov.in पर नियुक्ति के इस प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर प्रेषित करें।**

(अजय के मेहरा)
अपर कें.भ.नि.आ. (भर्ती/परीक्षा)

सेवा में,

सभी संबंधित कर्मचारी
(संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से)

प्रतिलिपि (कभनिसं वेबसाइट के माध्यम से)-

1. केंके निजी सचिव .आ.नि.भ.।
2. वि. सला. एवं मु. ले. अधि./मु. सत. अधि./ अ. कें.भ.नि. आ. (मुख्या. और अंचल)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अ.आ .नि.भ.कें . मुख्यालय/अंचल।
4. मुख्य अभियंता/ मुख्य सूचना सूरक्षा अधिकारी।
5. क्षे.भ.नि.आ.-I (एएसडी) सहित सभी क्षे.भ.नि.आ. (क्षे.का.) के प्रभारी।
6. मुख्यालय में सभी अधिकारी।
7. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
8. क्षे.भआयुक्त .नि. एनडीसी)) - आदेश वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. सभी आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र/उप-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र।
10. महासचिव, क अधिकारी .नि.भ.एसोसिएशनलुधियाना ,।

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)
क्षे.भ.नि.आ-II (भर्ती/परीक्षा)